गया है, यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार मैंढक की टांगों का कितनी-कितनी मात्रा में निर्यात किया गया और उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि मैंढक फसलों को कीड़ों से बचाते हैं; और

(घ) क्या सरकार मैंढकों की पैदावार बढ़ाने और उनकी टांगों के निर्यात को रोकने का विचार रखती है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रियरंजन दास मुंशी) : (क) जी नहीं।

(ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान मैंढक की टांगों के निर्यात निम्नोक्त प्रकार रहे :—

वर्ष	मात्रा (में टन में)	मूल्य (लाखों रु. में)
1983-84	2428	668.36
1984-85	2778	777.49
1985-86	1746	742.73

(स्रोत : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण)।

(ग) इस विषय पर वैज्ञानिक मत अलग-अलग है।

(घ) मैंढक पालन के विकास के माध्यम से मैंढकों का उत्पादन बढ़ाने के प्रश्न की ओर सरकार का पहले ही ध्यान है। मैंढक की टांगों का निर्यात कोटा प्रणाली के माध्यम से विनियमित है और चालू वर्ष के लिए कोटा को रिलीज को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

मध्य पूर्व के देशों के साथ आयात और निर्यात

2796. **श्री राम अवधेश सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान इराक, ईरान, कुवैत और सऊदी अरब को किन-किन वस्तुओं का कितनी-कितनी मात्रा में निर्यात किया गया तथा उपर्युक्त अवधि के दौरान इन देशों में से किस-किस देश से किन-किन वस्तुओं का कितनी-कितनी मात्रा में आयात किया गया;

(ख) इन देशों को और किन-किन वस्तुओं का निर्यात किए जाने की संभावनाएं हैं;

(ग) ईरान-इराक युद्ध के कारण कितनी धनराशि रुकी हुई पड़ी है, और

(घ) क्या ईरान-इराक युद्ध का भारत के आयात-निर्यात व्यापार पर विपरित प्रभाव पड़ा है; यदि हां, तो किस सीमा तक?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रियरंजन दास मुंशी) : (क) विगत 3 वर्षों के दौरान इराक, ईरान, कुवैत और सऊदी अरब को निर्यात की गई मुख्य मदें थीं: मांस, जीवित पशु, मछली, अनाज, अनाज से बनी वस्तुएं, सब्जियां, फल, चाय, काफी, मसाले, तम्बाकू, रसायन, वस्त्र, इंजीनियरी सामान तथा रत्न एवं आभूषण मदें। उपरोक्त प्रत्येक देश को निर्यातों का कुल मूल्य निम्नोक्त प्रकार था:—

(करोड़ रु० में)

	1983-84	1984-85	1985-86
इराक	52.07	48.71	35.49
ईरान	125.99	134.00	94.86
कुवैत	110.06	106.87	122.16
सऊदी अरब	213.52	271.78	213.02

उपरोक्त अवधि के दौरान इन देशों से आयातित प्रमुख मदें थीं: कच्चा तेल, गन्धक, लुगदी व रद्दी कागज, उर्वरक। आयातों का कुल मूल्य निम्नोक्त प्रकार था:—

(करोड़ रु० में)

	1983-84	1984-85	1985-86
इराक	797.59	674.58	548.06
ईरान	746.43	484.86	928.29
कुवैत	261.58	370.04	314.67
सऊदी अरब	1069.03	1263.28	798.17

(ख) फल, सब्जियां, चाय, चावल, मसाले, रसायन, औषधियां तथा भेषज, वस्त्र, इंजीनियरी सामान, रत्न और आभूषण तथा चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद।

(ग) इराक में आरम्भ की गई परियोजनाओं के फलस्वरूप भारतीय कम्पनियों को मिलने वाले भुगतान, दोनों सरकारों के बीच करारों के अनुसार क्रमबद्ध रूप में किये जा रहे हैं।

(घ) जी हां। प्रभाव का ठीक-ठीक अनुमान लगाना कठिन है ।

Gratuity to the employees of Charitable Research Institutions

2797. SHRI SURAJ PRASAD: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the em ployees of Charitable Research Institutions managed by public and private sector or ganisations and registered under the Socie ties Registration Act, 1961, and which are within the meaning of the Shops and Establishment Acts of the respective States/Union Territories are also entitled for gratuity at the time of retirement/ retrenchment/closure and leaving of the job;

(b) whether it is also a fact that in the garb of charitable research, some of the institutions duly covered under the Gratuity Act, 1984, deny the gratuity payment to their employees; and

(b) if so, what action Government are taking to strictly enforce the provisions of the above Act to these organisations ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): (a) The employees of such of those establishments, which are employing 10 or more persons, would be eligible for gratuity under the Payment of Gratuity Act, 1972.

(b) and (c) The Government have no-information in this regard. However, if gratuity is denied to an eligible employee, he can file a complaint with the Controlling Authority appointed under the Act, who will like appropriate action in. the matter.

Garment exporters

2798. SHRI RAFIQUE ALAM: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) what are the names and addresses of garment exporters of Delhi/New Delhi; and

(a) what are the norms for giving ex-port licences to such exporters ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI S. KRISHNA KUMAR): (a) The information, which is quite voluminous, is available with the Apparel Export Promotion Council (AEPC) and copies of the relevant publication of the AEPC will he sent to the Parliament Library.

(b) In addition to being registered with the Apparel Export Promotion Council/ Wool & Woollen Export Promotion Council, the applicant must satisfy the conditions of eligibility prescribed under each system covered by the Export Entitlement Distribution Policy for issue of export entitlements.

Constituting of a Group for increasing export of drugs and pharmaceuticals

2799. SHRI K. VASUDEVA PANIC- I KER: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government propose to constitute a Group representing trade and industry to raise the level of export of